

अशासकीय पत्र संख्या-1/शा०/30/2018-1/76/2018  
लखनऊ: दिनांक: २९ मई, २०१८

प्रथम आवंटन  
अनुदान संख्या-61 (आयोजनेत्तर)  
लेखाशीर्षक-3604001960301-28

आहरण एवं वितरण अधिकारी,  
पंचायतीराज निदेशालय,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

संयुक्त सचिव वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या-09/2018/बी-2-770/दस-2018-2/2018 दिनांक 10 मई, 2018 (छायाप्रति संलग्न) में चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-61 में प्रदेश की जिला पंचायतों को दी जाने वाली सामान्य समनुदेशन की कुल धनराशि ₹0-195000.00 लाख का 5 प्रतिशत (ए०टी०आर० में उल्लिखित संस्तुति संख्या-55 के अनुसार आडिट अनुशासन हेतु) एवं 0.15 प्रतिशत धनराशि संस्तुति संख्या-23 के अनुसार प्रशिक्षण संस्थान हेतु को छोड़कर 94.85 प्रतिशत धनराशि में से 1 प्रतिशत परिक्रमी निधि की धनराशि को घटाते हुए अवशेष 93.85 प्रतिशत धनराशि ₹0 183007.50 लाख (₹0 अट्ठारह अरब तीस करोड़ सात लाख पचास हजार मात्र) संस्तुति संख्या-57 के अनुसार जारी की गयी है। उक्त के क्रम में उपनिदेशक, जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक उ०प्र० के पत्र संख्या-1578सा/33-सेल/2018 दिनांक 22 मई, 2018 के द्वारा उपलब्ध करायी गयी संलग्न किश्तों की फाँट के अनुसार जिला पंचायतों को दिये जाने की उक्त शासनादेश दिनांक 10 मई, 2018 में निहित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन स्वीकृति प्रदान की जाती है-

1-जिला पंचायतों को स्वीकृत की जा रही धनराशि निदेशक, पंचायती राज, उ०प्र०, लखनऊ द्वारा शासनादेश के साथ संलग्न सूची में इंगित जिले के समुख कालम संख्या-3 में जिला पंचायतों के लिए आवंटित धनराशि के अनुसार छ: बराबर किश्तों में प्रथम किश्त तत्काल, द्वितीय किश्त माह जुलाई, 2018, तृतीय किश्त माह सितम्बर, 2018, चतुर्थ किश्त माह नवम्बर, 2018, पांचवीं किश्त माह जनवरी, 2019 तथा छठीं किश्त माह मार्च, 2019 में से प्रथम किश्त तत्काल ₹पया-30501.26 लाख (₹पया-तीन अरब पांच करोड़ एक लाख छब्बीस हजार मात्र) कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ से आहरित कर ई-पेमेन्ट के द्वारा सीधे जिला पंचायतों के खाते में जमा की जायेगी।

2-धनराशि के आहरण के एक सप्ताह के भीतर आहरण की सूचना वाउचर संख्या व दिनांक सहित प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के अधीन गठित जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक को प्रेषित की जायेगी जो अपने स्तर से धनराशि के आहरण की सहत सूचना पंचायती राज अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध करायेगें।

3-आवंटित की जा रही धनराशि उपभोग केवल उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये धनराशि दी जा रही है। इस धनराशि से किसी प्रकार का व्यावर्तन/समायोजन अनुमन्य नहीं होगा।

4—पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश शासन तथा जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक, द्वारा आवंटित धनराशियों के नियमानुसार उपयोग की समीक्षा की जायेगी तथा वे इसके समुचित उपयोग के लिये उत्तरदायी होंगे।

चालू वित्तीय वर्ष 2018—19 के आय—व्ययक में अनुदान संख्या—61 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक “3604—स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन—196—जिला परिषदों/जिला स्तरीय पंचायतों को सहायता—03—राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत समनुदेशन—0301—सामान्य समनुदेशन—28—समनुदेशन” के नामे डाला जायेगा।

प्रमाणित किया जाता है कि यह आवंटन निदेशालय के आवंटन रजिस्टर के पृष्ठ संख्या—129 पर अंकित है।

### संलग्न उपरोक्तानुसार।

(आकाश दीप)

निदेशक,

पंचायती राज, उ०प्र०।

संख्या—1/30/1/2018 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग, उ०प्र० शासन।
2. विशेष सचिव, वित्त, संसाधन (केन्द्रीय वित्त आयोग) अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. संयुक्त सचिव वित्त (आय—व्ययक) अनुभाग—2 उत्तर प्रदेश शासन को संदर्भित पत्र दिनांक 10 मई, 2018 के क्रम में।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
5. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ०प्र० इलाहाबाद।
6. निदेशक, पंचायतीराज (लेखा) इन्दिरा भवन दसवां तल लखनऊ।
7. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम उ०प्र० इलाहाबाद।
8. वरिष्ठ उपमहालेखाकार स्थानीय निकाय (लेखा परीक्षा एवं लेखा), चौथा तल, 15—1, दयानन्द मार्ग, सत्यनिष्ठा भवन, उ०प्र०, इलाहाबाद—21100।
9. उपनिदेशक, जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक, जापलिंग रोड, लखनऊ को उनके संदर्भित पत्र दिनांक 22 मई, 2018 के क्रम में।
10. उपनिदेशक (प०), योजना प्रभारी, राज्य वित्त आयोग, पंचायती राज निदेशालय, उत्तर प्रदेश।
11. एस०पी०एम०य०, पंचायतीराज निदेशालय, उ०प्र० को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आवंटन विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

पंचायतीराज निदेशालय  
उत्तर प्रदेश

(ब्रजेश कुमार)

मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी,  
पंचायती राज, उ०प्र०।